

# Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

## FORM 21C

(See rules 64)

(For Use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the  
Representation of the People Act, 1951

**Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from the Barmer-135  
Assembly Constituency**

In Pursuance of the Provisions contained in section 66 of the  
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct  
of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri MEWARAM JAIN, SARDARPURA, BISHALA MARG,  
BARMER, Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has  
been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- BARMER

Date :- 11.12.2018



(NEERAJ MISHRA)

RETURNING OFFICER

135-BARMER ASSEMBLY CONSTITUENCY

SUB DIVISIONAL OFFICER & SUB DIVISIONAL MAGISTRATE, BARMER

( नीरज मिश्र )

रिटर्निंग ऑफिसर

135-बारमेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

सब डिविजनल अधिकारी एवं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, बारमेर

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

135 बाड़मेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री मेवाराम जैन, सरदारपुरा, बिशाला मार्ग, बाड़मेर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान :- बाड़मेर

दिनांक :- 11.12.2018

  
(नीरज मिश्र)

रिटर्निंग ऑफिसर

135-बाड़मेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

( नीरज मिश्र )

रिटर्निंग ऑफिसर

135-बाड़मेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर